

# Instructions for Self Finance Unit's


मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
बल्लभ नगर, भोपाल-462004

आ दे श

भोपाल, दिनांक 30/03/2013

क्रमांक एफ 1-4/2013/ई.स्था.-38/रासेयो :: उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हित को दृष्टि में रखते हुए मैं राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्व-पोषित इकाई प्रारंभ की जाये। उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि अशासकीय महाविद्यालयों की सम्बद्धता/नवीनीकरण की अनुमति देते समय अन्य शर्तों के साथ इन अशासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना स्व-पोषित इकाई अनिवार्यतः खोलने/प्रारंभ करने की शर्त भी शामिल की जाये। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के सुचारु रूप से संचालन हेतु रूपये 10/- प्रति माह प्रति विद्यार्थी के मान से विद्यार्थियों से शुल्क लिया जायेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,


  
( सी. बी. पड़वार )  
उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 30/03/2013

पृ.क्रमांक एफ 1-4/2013/ई.स्था.-38/रासेयो  
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन के निज सहायक।
2. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर, ग्वालियर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. उप कार्यक्रम सलाहकार, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय, जामनगर हाऊस, नई दिल्ली।
6. कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश एवं प्राचार्य, शा. कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर। की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु स्व-पोषित इकाई प्रारंभ करने के दिशा-निर्देश संलग्न हैं।
7. अतिरिक्त संचालक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. युवा अधिकारी एवं प्रमुख, भारत सरकार रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र, ई-1/123, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
9. प्राचार्य, समस्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश की ओर पालनार्थ। अधिक जानकारी हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के रासेयो कार्यक्रम समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं।
10. कार्यक्रम समन्वयक, समस्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश/शा. कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय, सागर तत्काल विश्वविद्यालय में स्व-पोषित इकाई के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर, विभाग को कार्य प्रगति से अवगत करायें।
11. आर्डर बुक।

  
उप सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग

RKV

मध्य प्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्रमांक/12/215/एनएसएस/2014/38  
प्रति,

भोपाल दिनांक 06/1/14  
07

1. कार्यक्रम समन्वयक,  
रासेयो,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
मध्य प्रदेश.
2. कार्यक्रम समन्वयक,  
रासेयो,  
अतिरिक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय,  
उच्च शिक्षा, सागर संभाग,  
शा. कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय परिसर,  
सागर म0प्र0।

विषय:- एन.एस.एस.- स्ववित्तीय पोषित इकाई खोलने-संबंधी।  
सन्दर्भ:- विभागीय पत्र दिनांक 30.8.2013, 18.9.2013 एवं 26.10.2013 तथा भारत सरकार रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल के पत्र दिनांक 1.1.2014 एवं 6.1.2014.

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कृपया सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। रासेयो विस्तार के अन्तर्गत निजी महाविद्यालयों में स्वपोषित रासेयो इकाईयाँ खोलने संबंधी कार्यवाही करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था। आपके विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत स्वपोषित इकाईयाँ निजी महाविद्यालयों में खोलने संबंधी प्रगति एवं उपलब्धि से विभाग को तत्काल अवगत करायें।

भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र दिनांक 1.1.2014 के अनुक्रम में लेख है कि निजी महाविद्यालयों में स्वपोषित इकाई खोलने हेतु क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में उनके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य, रासेयो जिला संगठक के साथ बैठक तय करें बैठक की तिथि विभाग एवं रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र भोपाल को अवगत करायें। बैठक में स्वपोषित इकाईयाँ हेतु पूर्व में विभाग द्वारा भेजे गये दिशा निर्देश के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से प्रयास करें। बैठक दिनांक 10.1.2014 को जानकारी एवं स्वपोषित रासेयो इकाई की प्रगति के साथ आयें।  
(प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित)

Ry 07/01/14  
(डॉ. आर.के. गिजय)  
उप सचिव

(राज्य सम्पर्क अधिकारी, रासेयो)  
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक 06/1/2014  
07

पृष्ठ क्र. 13/215/एनएसएस/2014/38  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा के निज सहायक।
2. ओ.एस.डी. सह आयुक्त, उच्च शिक्षा म0प्र0 के निज सहायक।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 की ओर कृपया स्वपोषित रासेयो इकाईयाँ खोलने हेतु आपके क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले निजी महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं रासेयो कार्यक्रम समन्वयक, जिला संगठक के साथ बैठक आयोजित कर, रासेयो विस्तार में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
4. कुलसचिव, समस्त रासेयो, युक्त विश्वविद्यालय म0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा सागर संभाग (अग्रणी महाविद्यालय परिसर) सागर की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. युवा अधिकारी, प्रमुख भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र ई-1/123 अरेरा कालोनी, भोपाल।

Ry 07/01/14  
उप सचिव  
(राज्य सम्पर्क अधिकारी, रासेयो)  
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

## OPERATIONAL GUIDELINES FOR SELF FINANCING UNITS OF NSS

### 1. INTRODUCTION

- 1.1. **Background:** The National Service Scheme (NSS), a voluntary and value based student youth programme is one of the major youth schemes being operated in the Ministry of Youth Affairs & Sports. It was launched during the birth centenary celebration of Mahatma Gandhi on 24<sup>th</sup> September 1969 in 37 universities involving 40,000 students in pursuance of one of the recommendations of the Education Commission, 1964-65. NSS, presently (2012-2013) has 32.5 lakh volunteers, in 299 Universities, 15,666 Colleges/Technical Institution, 10762 (+2) Schools and 42 (+2) Senior Secondary Boards/Councils and Directorates of Vocational Education. During its 43 years of fruitful existence more than 4.13 crore students have so far benefited from this largest student-volunteership programme in the world.
- 1.2. **Aims & Objectives:** The aims and objectives of the NSS are: (i) to render service to the community while studying in an educational institution; (ii) to arouse the social conscience among students; (iii) to provide them with an opportunity to work creatively and constructively with the community around the educational campus; and (iv) to put the education they receive to concrete social use; and specifically, (i) to work with and among the people; (ii) to engage in creative and constructive social action; (iii) to enhance knowledge of oneself and the community through a confrontation with reality; (iv) to use the knowledge gained in the class room in a practical way for mitigating at least some of the social problems; and (v) to gain skills in programme development to be able to be self-employed. The goals are to achieve improvement in personality, leadership potential, national outlook and a sense of civic responsibility.
- 1.3. **Motto:** The motto of the NSS is 'NOT ME BUT YOU'. This expresses the essence of democratic living and upholds the need to appreciate the other man's point of view first and to show consideration for fellow human beings. It also underlines that the welfare of the individual is ultimately dependent on the welfare of society as a whole. NSS attempts to establish meaningful linkages between "Campus and Community", "College and Village" and "Knowledge and Action".
- 1.4. **Programmes:** The basic unit of NSS consists of 50 or 100 volunteers at school/college level headed by a Programme Officer (usually a lecturer). At the University level, the NSS is looked after by Programme Coordinators (Full-time or Part-time Readers). The State Liaison Cell at the State Secretariat is fully responsible for the implementation of the scheme including timely release of grants to the NSS institutions. The NSS has two types of programmes, viz., (a) **Regular activities** and (b) **Special Camping programmes**. Under the "Regular Activities", students are expected to work as volunteers for a continuous period of two years, rendering community service for a

minimum of 120 hours per annum. The activities under Regular Programme include improvement of campuses, tree plantation, constructive work in adopted villages and slums; work in welfare institutions, blood donation, adult and non-formal education, health, nutrition, family welfare, AIDS awareness campaign etc.

Under Special Camping Programme, a camp of 07 days' duration is conducted every year in the adopted area on a specific theme like "Youth Against Famine", "Youth Against Dirt and Disease", "Youth for Development", "Youth for Mass Literacy", etc. New Dimensions have been added in recent years by integrating AIDS Awareness Campaign for student youth under "Universities Talk AIDS/Student Talk AIDS" Programme and "Watershed Management and Wasteland Development Programmes" into the NSS Programme. The theme for the Special Camping Programme for the years 2006-2007 to 2008-2009 was "Healthy Youth for Healthy India". **The Special Camping theme for the year 2012-13 was spread over five core areas given below:**

1. **Environment including preservation of natural resources and conservation of cultural/historical heritage;**
2. **Health, public sanitation and personal hygiene;**
3. **Rural development including project identification, programme formation, implementation and evaluation;**
4. **Education and literacy including legal awareness; and**
5. **Emergency interventions including trauma care, initial counseling and data collection**

## 2. THE RATIONALE

- 2.1. Education is a price commodity, especially in India. For every child in school or college there are much more of them, who either could not make it or who never get chance to make it. The higher is the level; the higher is the competition. This makes it incumbent upon a student of higher learning to return something to the society for the opportunity he/she got at the cost of others. NSS provides one such opportunity to a student through community service to return the social debts in his/her own way.
- 2.2. Although NSS has grown 81 times during its 43 years of existence it has not even able to cover 20 percent of the student community. Nor it is possible for the government to provide fund for Universalisation of NSS. At the same time there is spurt in demand to set up new NSS units in schools and colleges without tagging to the conditionality of funding by government. There is scope to de-link NSS operation from funding for the Institutions, which are willing and capable to generate their own resource for programme activities. It is expected that this de-linking will expand the out-reach of NSS and at the same time provide space to finance public funding to more deserving and needy institutions in an equitable manner.

### 3. PROCEDURE FOR APPLICATION

- 3.1. **A prescribed proforma for submission of the proposal is annexed.** However it is expected that the proposal will be self contained and will include:-
- The organizational/management committee details of the Institute including courses offered, no. of students in each class (boys/girls), recognition/affiliation status etc.
  - An operational plan for functioning of NSS including number of Units proposed.
  - Identification of key personnel (Programme Officers/Programme Coordinator etc.).
  - Infrastructure available for NSS operations.
  - Source and scale of funding for NSS activities/programmes.
  - Past experience of the institution in Social work.
  - Statutory details and certificates of recognition/registration if any, with photo copy.
  - Contact details of the Principal/Head of the institution.
- 3.2. The proposal for opening new NSS SFUs should be signed by the Principal/Head of the institution.
- 3.3. Institution having existing NSS unit(s) on fully funded basis may also set up new NSS units on self-financing basis.
- 3.4. The institution seeking to open NSS SFU should submit their **proposal to the concerned NSS Regional Centre. A copy of the same may be sent to State Liaison Officer and NSS Programme Coordinator of the University/+2 Council concerned for their information.**
- 3.5. The NSS Regional Centre with the approval from the Programme Adviser, NSS and convey such approval/disapproval to the concerned institution.

### 4. TERMS AND CONDITIONS OF AFFILIATION

- 4.1. The SFUs will be for all practical purpose operates as the regular NSS Units except that the funding for the 'Regular Activity' and 'Special Camping' and institutional establishment expenses like honorarium to Programme

Coordinator/Programme Officer and support staff has to be borne by the SFU Institution.

- 4.2. The initial period of affiliation of the NSS SFU will be 5 (five) years, which can be extended depending on the performance of the units.
- 4.3. All the provisions of the NSS manual shall be binding on the NSS Unit on self-financing basis.
- 4.4. The newly set up SFU will form a part constituent of the State NSS Contingent and shall be under the overall administrative control of the NSS State Liaison Cell in the State Government/UT Administration.
- 4.5. The NSS SFU will also submit reports, information etc. as per the requirement to their respective **NSS University Cell with a copy to the concerned Regional Centre and State Liaison Cell.**
- 4.6. The **concerned Regional Centre, NSS** will be responsible for imparting training, orientation of the key NSS officials of the NSS SFU through its Empanelled Training Institutions (ETIs) as in the case of fully funded NSS units.
- 4.7. The decision of the Government of India regarding operation of this stream shall be final.

#### 5. INCENTIVES TO NSS SFU

- 5.1. The SFU shall be eligible at par with other NSS units for participation in all the national level programmes conducted by **NSS Hqrs.**
- 5.2. The SFU shall be eligible to participate in the Republic Day Parade Camps of NSS including the pre RD Camps, Adventure Programme, Mega Camps, Youth Festival, Award etc.
- 5.3. The SFU will also be eligible to conduct national level programmes of NSS sponsored by other national as well as international/multilateral organizations.
- 5.4. Volunteers from NSS SFUs will be eligible to participate in all national/international youth exchange programmes conducted by the Ministry/**NSS Hqrs.**
- 5.5. The SFUs through their respective NSS Regional Centre and **NSS Hqrs.** can avail financial assistance aid under the schemes of the Ministry of Youth Affairs & Sports.

#### 6. FINANCING THE NSS SELF FINANCING UNIT

- 6.1. The finance limit for the out of pocket allowance, honorarium, shall be as per the prescribed norm under NSS manual.
- 6.2. The cost norms for the regular activity and special camping programme shall not exceed **Rs.600/-** and **Rs.1000/-** respectively.
- 6.3. The SFU Institution may, if necessary, charge a nominal fee for NSS programme activities. The fee structure and its utilization shall be subject to approval of systems and procedures prevalent in the institutions where the SFU exists.
- 6.4. The accounts of NSS SFU shall be maintained separately by the Programme Coordinator/Programme Officer concerned and the audited account should be placed before the respective NSS Advisory Committee of the University/+2 Council/Institution annually.

\*\*\*\*\*

**PROFORMA FOR SUBMISSION OF PROPOSAL FOR ESTABLISHMENT OF  
SELF FINANCING UNIT (SFU) UNDER NATIONAL SERVICE SCHEME (NSS)**

1	Name of the Institution/College/School with Phone No./Fax/Email	
2.	Postal address of the Institution	
3	Name of the Principal with contact No. & Email	
4	Name of the University/Directorate	
5.	Total strength of the Institution/College	
6	Total strength of students in +2 level (applicable to schools only)	
7.	The year of existence of the Institution	
8.	Whether Institution is recognized ?	
9.	Past experience of the Institution in social work	
10	Whether Institution already have Regular NSS units? If yes, indicate the No. of Unit(s)	
11.	No. of NSS Units required by the Institution	
12.	Name of the proposed NSS Programme Officer.	
13	Whether the Institution publish Annual Report? If yes, please attach a copy of current report	
14	Specify whether the Institution earlier had any NSS Unit. If yes, give reasons of discontinuation of the Unit.	

Signature of Principal/





देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर  
राष्ट्रीय सेवा योजना



फेक्स : 0731-2529540 दुरभाष : 0731-2523770 email Id :- [conssdavv@gmail.com](mailto:conssdavv@gmail.com)

क्रमांक / रासेयो / 011 / 2013-14 / 40

दिनांक :- 05.03.2014

प्रति,

प्राचार्य

दे.अ.वि.वि., इन्दौर से

सम्बंध, समस्त नीजि महाविद्यालय

विषय :- दिनांक 28/01/2014, को आयोजित निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक का कार्यवृत्त भेजने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 28/01/2014, को अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग की अध्यक्षता में निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित हुई है । बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है । बैठक में लिए गये निर्णयानुसार समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(डॉ. प्रकाश नंदवाल)  
कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो,  
देवी अहिल्या वि. वि.इन्दौर

प्रतिलिपि :-

- (1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन उच्च शिक्षा के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।
- (2) ओ.एस.डी., सहआयुक्त, उच्च शिक्षा म.प्र. के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।
- (3) अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग की ओर सूचनार्थ ।
- (4) उप कुलसचिव शैक्षणिक, समुचित कार्यवाही हेतु ।
- (5) निदेशक महाविद्यालय विकास परिषद को भेजकर लेख है, कि निजी महाविद्यालयों में सम्बद्धता/नवीनिकरण के लिए रासेयो स्वपोषित इकाई खोलने को अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल करें ।
- (6) राज्य सम्पर्क अधिकारी, रा.से.यो. म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ ।
- (7) युवा अधिकारी एवं प्रमुख, भारत सरकार, युवा एवं कार्यक्रम खेल मंत्रालय, रासेयो क्षेत्रीय केन्द्र अरेरा कॉलोनो, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो,  
देवी अहिल्या वि. वि.इन्दौर

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

राष्ट्रीय सेवा योजना स्वपोषित इकाई खोलने हेतु दिनांक 28.01.2014 को आयोजित निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 28.01.2014, को देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर के नालंदा परिसर के सभागृह में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई प्रारम्भ करने के लिए देवी अहिल्या वि.वि., से सम्बद्ध 'निजी महाविद्यालयों' के प्राचार्यों की बैठक डॉ.नरेन्द्र धाकड़, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर सम्भाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से श्री आर.डी.मुसलगांवकर, कुल सचिव देवी अहिल्या वि.वि., इन्दौर, प्रो. आर.के.विजय, उपसचिव, राज्य सम्पर्क अधिकारी, रासेयो, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, श्री अशोक क्षेत्रीय, युवा अधिकारी, क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल, प्रो. सुमन्त कटियाल, निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद, दे. अ.वि.वि., इन्दौर उपस्थित थे।

बैठक में निम्न प्राचार्य उपस्थित रहे।

क्र.	प्राचार्य का नाम	संस्था का नाम
1.	डॉ.आर.के.देवे	एल.एस.ए.कॉलेज, 101 एम.जी. रोड, धार
2.	प्रो. मो.सगीर	श्री सत्यलक्ष्मी रक्षाकृष्ण व्यवसायिक अध्ययन महाविद्यालय, खण्डवा
3.	प्रो. मोहन सोनी	सेवा सदन, महाविद्यालय, बुरहानपुर
4.	डॉ. तुषार गरगी	सरदार वल्लभ माई पटेल, कॉलेज, मण्डलेश्वर
5.	प्रो. विभूता शर्मा	बी.एम.कॉलेज, फार्मास्यूटिकल, एज्युकेशन एण्ड रिसर्च, इन्दौर
6.	प्रो. सुनील कुमार वर्मा	प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इन्दौर
7.	प्रिंसीपल शिंसीर सोनी	आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साइंस, धामनोद
8.	श्री अनुप जोशी	नर्मदा वैली इंस्टीट्यूट ऑफ प्रो. स्टडीज, साइंस बडवाह
9.	प्रो. अनिल खेडे	श्री कंचरतारा साइंस एण्ड कॉमर्स कॉलेज, मण्डलेश्वर
10.	डॉ. अशोक शर्मा	सिक्का महाविद्यालय, इन्दौर
11.	श्रीमती आरती टाकर	विवेकानन्द महाविद्यालय, शाहपुर
12.	डॉ. अनिल कुमार कोण्डिया	सेवा सदन महाविद्यालय, बुरहानपुर
13.	श्रीमती रिता होजर	लाकर शिव कुमारसिंह मैनेजमेंट मैंगोरियल, बुरहानपुर
14.	डॉ. आशीष रावल	श्री कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ ली, इन्दौर
15.	श्री जगदीश	डॉ. जाकिर हुसैन, महाविद्यालय, बुरहानपुर
16.	राजेश कुमार मोर्य	सेंट पील कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, खण्डवा
17.	डॉ. दिनेश आर.उपध्याय	किशोरीलाल वर्मा मेमोरियल कॉलेज, धाना, जिला. खण्डवा
18.	श्रीमती एम.एस. विन्नी	शोम्बे हॉस्पिटल कॉलेज, ऑफ नर्सिंग, इन्दौर
19.	डॉ. अमित डेविड	इन्दौर किरचन कॉलेज, इन्दौर
20.	डॉ. कमलजीत माटिया	अरिहत कॉलेज, इन्दौर
21.	प्रो.एच.आर. सिंह	ऑरियंटल यूनिवर्सिटी, इन्दौर
22.	डॉ. पिपुष मिश्रा	सेन्दल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर
23.	विनोद पटेल	विद्यासागर कॉलेज, इन्दौर
24.	एम.वी.एम. खान	यश कॉलेज ऑफ एज्युकेशन बडवाह
25.	डॉ.आर.व्यास	फिक्शियन एमोनेन्ट कॉलेज, इन्दौर
26.	डॉ.आनन्द मिश्रा	अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, इन्दौर
27.	डॉ.एच.बापट	क्रिय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर
28.	डॉ. विशाल सोनी	स्वामी विवेकानन्द कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल, स्टडीज
29.	डॉ. श्रीमती रिता मण्डल	पुनमचन्द्र गुप्ता बोर्डिंगल कॉलेज, खण्डवा
30.	आर.एस.पाटल	मालुश्री अहिल्यादेवी टेक्नाकल एज्युकेशन, इंस्टीट्यूट, इन्दौर
31.	डॉ.श्रीमती प्रेमलता रेजवानी	एनी बेलेन्ट कॉलेज, इन्दौर
32.	प्रो.अतुल शर्मा	ग्रेजुवेट स्कूल ऑफ बिजनेस, इन्दौर
33.	प्रो. तरुण शर्मा	सांकेटविजयन कॉलेज, इन्दौर
34.	प्रो.धीरज सोलंकी	विद्यालय महाविद्यालय, मनावर
35.	प्रिंसीपल अजय वाघे	विद्यालय महाविद्यालय, मनावर
36.	डॉ. विनोद पाटिल	इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ ली
37.	एम.आई.एस. सोनाली कुमावत	इन्दौर नर्सिंग कॉलेज, इन्दौर
38.	श्री हेमन्त पाटीदार	मौ नर्मदा, महाविद्यालय, धामनोद
39.	श्रीमती लता श्रीवास्तव	कस्तूरबा ग्राम स्कुल इंस्टीट्यूट, इन्दौर
40.	डॉ. राजेश श्राफे	इन्दौर हारिदा कॉलेज, इन्दौर
41.	डॉ. सी.एन.एस. मुर्ती	धर्मलीदेवी स्कूल ऑफ इंजीनियर, इन्दौर
42.	डॉ. सपना अवरस्थी	इन्दौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर, इन्दौर
43.	डॉ. धरवेश मण्डारी	एम.बी.खालसा, ली कॉलेज, इन्दौर
44.	डॉ. पंकज शर्मा	श्री व्यक्तेश कॉलेज ऑफ इंजीनियर एण्ड टेक्नोलॉजी
45.	टी.एन. पाण्डे	शुभदीप आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, इन्दौर
46.	डॉ.आर.सी.सघवी	एस.जे.एच.एस., गुजराती इन्वोलेटिव कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड साइंस, इन्दौर
47.	डॉ.परितोषा अवरस्थी	रोडियट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साइंस, इन्दौर
48.	डॉ. मनोज परमार	आई.के. कॉलेज, इन्दौर

49.	डॉ. कल्पना गर्ग	द.अ.वि.वि., सुगनीदेवी कॉलेज, इन्दौर
50.	डॉ.एम.एल.शर्मा	आई पी.एस., एकेडमी, इन्दौर
51.	चविन्द्र कुमार	मोती लाल मेहरू महाविद्यालय, इन्दौर
52.	डॉ. अरविदयाल	पी.एम.गुजराती आई एण्ड लॉ कॉलेज, इन्दौर
53.	प्रो. ललितकुमार दुबे	बी.एम.कॉलेज ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड रिसर्च, इन्दौर
54.	डॉ. आनन्द निगवाल	महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर
55.	डॉ. मिरजा मोजिज बेग	इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ
56.	डॉ.सैलेन्द शर्मा	चौधुराम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर
57.	डॉ. राजेश वर्मा	किरचन एमीनेन्ट, कॉलेज, इन्दौर
58.	डॉ. विनोद पाटियार	विवेक जैन, इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ
59.	पंकज द्विवेदी	पंकज द्विवेदी, इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ
60.	डॉ. प्रियका जैन	इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ
61.	डॉ. तरणजीत सूद	एम बी खालसा कॉलेज, इन्दौर
62.	प्रो.संजय माहेश्वरी	विशिष्ट स्कूल ऑफ मेनेजमेन्ट, इन्दौर
63.	प्रो. गोपेश शर्मा	श्री साईबाबा कॉलेज, फॉर टिचर, इन्दौर
64.	प्रिसोपल देवदत्त शुकला	मिलीनिमम बी.एड. कॉलेज, बुरहानपुर
65.	प्रो.अजय आहिर	सुशीलादेवी बसल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इन्दौर
66.	डॉ.एस.प्रसाद	संघवा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, संघवा
67.	डॉ.श्रीमती माया पाटिल	एम.आई.बी.एस., ग्रेजुएशन स्कूल ऑफ नर्सिंग
68.	डॉ.अलका शर्मा	सॉयल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन
69.	डॉ. मिनहोी परास्कर	एम.बी.खालसा, इंस्टीट्यूट ऑफ एज्युकेशन, इन्दौर
70.	डॉ. मनोज माटिया	संघती इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट एण्ड साईंस, इन्दौर
71.	डॉ.क्षमा पेंगणकर	श्री वैष्णव प्रबन्ध संस्थान, इन्दौर
72.	प्रो. जाकोब	इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क
73.	डॉ. बबिता कडाकिया	एस.डी.पी.एस., धूमन कॉलेज, इन्दौर
74.	डॉ. प्रगति जैन	सेंटपील इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर
75.	डॉ.वासुदेव मिश्रा	श्री वल्लभ मार्केट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर
76.	डॉ. निहार गोले	एम.के.एच.एस., गुजराती कॉलेज, इन्दौर
77.	सुमीत सूराना	एफोमिलिस टेक्नोलॉजी, केम्पस
78.	डॉ. एन.आर. भारलिया	जवाहर मेहरू कॉलेज, खरगोन
79.	प्रो. ए.बी. सिरवानी	सेंट दीवान करणचंद कन्या महाविद्यालय, इन्दौर
80.	डॉ. एस.एस. मजूरिया	एस.डी.एस.आई.टी.एस., इन्दौर
81.	डॉ.डी.एस. चौहान	महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट, राउ
82.	डॉ. श्रीमती किरण दमानी	श्री गुजराती समाज, बी.एड. कॉलेज
83.	डॉ. मंगलमिश्रा	श्री वल्लभ मार्केट कन्या कॉमर्स कॉलेज, इन्दौर
84.	डॉ. राजेन्द्र जैन	पी.एम.बी. गुजराती कॉमर्स, कॉलेज, इन्दौर
85.	प्रो. संजय पाण्डे	कोठारी कॉलेज, इन्दौर
86.	डॉ. जशमिंत टण्डन	ज्ञान नवोदय महाविद्यालय
87.	डॉ. एष्वन्द दुबे	महाराजा रणजीतसिंह कॉलेज, इन्दौर
88.	प्रो. लोकेश्वर सिरग	मधुरा देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट, इन्दौर
89.	प्रो. मनीष चौधरी	मधुरा देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट, इन्दौर
90.	डॉ. श्रीमती जी.एस. रेडडी	एस.डी.पी.एस. कॉलेज, ऑफ नर्सिंग
91.	डॉ. मृकेश दिली	श्री रेवा गुजर कॉलेज, रत्नावद
92.	डॉ. जी.एस.शर्मा	मालवा इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस एण्ड मेनेजमेन्ट
93.	डॉ.एम.एस. सिधानी	अभियान कन्या महाविद्यालय, रत्नावद
94.	डॉ. वदना वर्मा	लिवरल कॉलेज, राउ, इन्दौर
95.	डॉ. अनुप चापेड	एलीकिसिया कॉलेज एण्ड प्रोफेशनल स्टडीज
96.	डॉ.श्री भण्डारीसर	एम.बी.खालसा लॉ, कॉलेज इन्दौर
97.	श्री विनय यादव	पुनम कॉलेज
98.	प्रो. सत्यक सोनी	किशोरीलाल वर्मा, मेमोरियल कॉलेज, पधाना
99.	डॉ. डी.एस.शर्मा	आईसेक्ट कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर
100.	डॉ. रमेश मंगल	श्री वैष्णव वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर
101.	श्रीमती निकिता	संघती इन्वोटेव एकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एण्ड मेनेजमेन्ट, इन्दौर
102.	डॉ.हेन चमार गुप्ता	आर.के.डी.एफ. इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मस्यूटिकल, साईंस, इन्दौर
103.	प्रो.आर.बी. सिहारे	श्री सत्यसाई फार्मसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्दौर
104.	डॉ.एन.के. दुबे	सेन्दुल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्दौर
105.	डॉ. विजय मिश्रा	सेन्दुल कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, इन्दौर
106.	डॉ.आर.के.संखनबीस	आर.के.डी.एफ. स्कूल ऑफ इंजीनियर, इन्दौर
107.	प्रिसोपल	रोशन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, धार
108.	प्रिसोपल	जे.डी. मेमोरियल कॉलेज ऑफ फिशियोथेरेपी एण्ड पारा मेडिकल साईंस, धार

- (1) बैठक के प्रारम्भ में डॉ. प्रकाश गढ़वाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के दर्शन व आवश्यकता पर सदन को अवगत कराया ।
- (2) श्री अशोक क्षोत्रीय, युवा अधिकारी, क्षेत्रीय केन्द्र, भोपाल ने स्वपोषित इकाई खोलने से सम्बद्ध भारत शासन की गार्डर्ड लाईन सदन के समक्ष रखी तथा प्रत्येक निजी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारम्भ करने हेतु 10 रु. प्रतिमाह छात्रों से शुल्क लेने तथा प्रति 400 छात्र संख्या पर 100 छात्रों की एक इकाई तथा 200 छात्र संख्या पर 50 छात्रों की एक इकाई खोलने सम्बंधी जानकारी से सदन को अवगत कराया ।

श्री अशोक क्षेत्रीय ने बताया कि छात्रों से फीस प्रवेश के समय ली जाकर वि.वि., में जमा कराना होगी तथा वि.वि., का रासेयो प्रकोष्ठ, शासन के नियमानुसार गतिविधियों के संचालन के लिए अनुदान जारी करेगा ।

- (3) प्रो.आर.के.विजय ने रासेयो की स्वपोषित इकाई खोलने सम्बंधी, उपसचिव उच्च शिक्षा का पत्र सदन में रखा, जिसमें कहा गया है कि निजी महाविद्यालयों में सम्बद्धता/नवीनीकरण के लिए रासेयो की स्वपोषित इकाई खोलने को, अनिवार्य शर्त रखा जावे ।
- (4) प्रो. सुमन्त कटियाल, निदेशक, महाविद्यालय विकास परिषद ने कहा कि आगामी सत्र से निजी महाविद्यालयों की सम्बद्धता के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वपोषित इकाई खोलने की अनिवार्य शर्त के रूप में रखा जावेगा ।
- (5) श्री आर.डी.मुसलगांवकर, कुलसचिव दे.अ.वि.वि., इन्दौर ने रासेयो की इकाई महाविद्यालयों में खोलने की अनिवार्यता से सदन को अवगत कराया तथा इस अवसर पर निजी महाविद्यालयों को शासन के पत्र All India Survey of Higher Education से सम्बन्धित जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित करने हेतु कहा गया, श्री मुसलगांवकर द्वारा यह भी कहा गया कि यदि निजी महाविद्यालयों द्वारा पोर्टल पर जानकारी अपलोड नहीं की गई, तो उनकी सम्बद्धता निश्चित रूप से समाप्त कर दी जावेगी ।

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वपोषित इकाई खोलने सम्बंधी जानकारी सदन में रखने तथा प्राचार्यों के सुझावों के बाद सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-


- (I) सभी निजी महाविद्यालयों में प्रथमतः रासेयो की कम से कम एक स्वपोषित इकाई प्रारम्भ करना अनिवार्य है ।
- (II) जिन निजी महाविद्यालयों में पूर्व से ही अनुदान प्राप्त इकाई कार्य कर रही है, वहाँ भी रासेयो की एक स्वपोषित इकाई प्रारम्भ करना होगी ।
- (III) 400 छात्र/छात्राओं वाले महाविद्यालयों में 100 छात्र/छात्राओं की एक इकाई प्रारम्भ की जाना है ।
- (IV) 400 छात्र/छात्राओं की संख्या से ज्यादा संख्या वाले महाविद्यालयों में भी कम से कम एक तथा इसी अनुपात में एक से ज्यादा इकाईयों भी प्रारम्भ कर सकते हैं ।
- (V) 200 छात्र संख्या पर 50 छात्र संख्या की एक इकाई प्रारम्भ करना होगी तथा ~~50~~ 200 छात्र संख्या से कम संख्या वाले महाविद्यालयों में रासेयो की स्वपोषित इकाई प्रारम्भ करने की अनिवार्यता में छूट दी गई है ।
- (VI) सत्र 2014-15 में सभी स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र/छात्राओं से 10 रु/- प्रतिमाह शुल्क महाविद्यालयों द्वारा लिया जायेगा तथा इस शुल्क को वि.वि., के कुलसचिव/समन्वयक रासेयो के खाते में जमा करना अनिवार्य होगा । सत्र 2014-15 के लिए स्नातक स्तर के तृतीय वर्ष के छात्रों से यह शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
- (VII) शासन के पत्र के अनुसार स्वपोषित इकाईयों को शासन के द्वारा पोषित इकाईयो के समान ही अनुदान वि.वि. के रासेयो प्रकोष्ठ द्वारा जारी किया जावेगा ।
- (VIII) स्वपोषित इकाईयों में शासन से अनुदान प्राप्त इकाईयों की तरह गतिविधियाँ संचालित होंगी तथा छात्रों को बेज, डायरी, ए.बी.सी., प्रमाण-पत्र, का लाभ तथा छात्र सभी प्रकार के शिविरों (जिला स्तर, वि.वि., स्तर, राज्य स्तर राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर शिविरों) में भाग ले सकेंगे ।

(IX) महाविद्यालय में स्वपोषित रासेयो इकाई को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक शिक्षक को प्रभारी बनाया जावेगा जिसका पद कार्यक्रम अधिकारी होगा ।

(कार्यवाही प्राचार्य सभी निजी महाविद्यालय)

इस अवसर पर डॉ. नरेन्द्र धाकड़, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा ने महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई की आवश्यकता का महत्व बताया तथा कहा कि इस योजना से जुड़कर छात्र/छात्राएँ समाज के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, अतः शासन की इस योजना को महाविद्यालयों में शीघ्र प्रारम्भ किया जाए।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई ।

  
डॉ. प्रकाश गढ़वाल  
कार्यक्रम समन्वयक, रासेयो  
दे.अ.वि.वि., इन्दौर